

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 13 जून, 2006/ आषाढ़ 2, 1928 (शक)

संख्या-175 A

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, अतिरिक्त एस.एच.ओ., संसद मार्ग, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री डॉ.जगदीश मुखी, डॉ.हर्षवर्द्धन, ओ.पी.बब्बर, मोहन सिंह बिष्ट, एच.एस. बल्ली, सुशील चौधरी, रविन्द्र नाथ बंसल, मांगेराम गर्ग, मोती लाल सोढी, पूरन चन्द योगी तथा सुभाष सचदेवा को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा-65 के अंतर्गत दिनांक 12.6.2006 को 1300 बजे संसद मार्ग से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन, उसी स्थान से 1320 बजे रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Tuesday 13th June 2006/ 2 Ashaad 1928 (Saka)

No. 175 A

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. SHO, Parliament Street, Delhi

"I have the honour to inform you that S/Shri Dr Jagdish Mukhi, Dr. Harshvardhan, O.P. Babber, Mohan Singh Bisht, H.S. Balli, Sushil Choudhery, Ravinder Nath Bansal, Mange Ram Garg, Moti Lal Sodhi, Puran Chand Yogi and Subash Sachdeva, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 from Parliament Street at 1300Hrs. on 12.6.2006

They were released at 1320 Hrs. from the same place on the same date.”

Siddharath Rao
Secretary